



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या – 155/2016

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ

एवं अन्य

...अपीलकर्ता(गण)

बनाम

मों. बशीर खान 6511 एस/एस 2014

... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता: – मुख्य स्थायी अधिवक्ता

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता :- अरुण कुमार पाण्डेय, के.आर. पाण्डेय

सह 3 अन्य संबद्ध वाद

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

(सिविल प्रकीर्ण आवेदन संख्या 41408/ 2016, विलंब क्षमा हेतु आवेदन पर आदेश)

1. वाद सुना गया।
2. यह विशेष अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा करने के अनुरोध सहित एक आवेदन है जो एक शपथपत्र द्वारा समर्थित है।
3. यद्यपि विशेष अपील दायर करने में एक वर्ष, चार माह और सात दिनों का विलंब है, लेकिन प्रत्यर्थी के अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि विलंब को क्षमा कर दिया जाए और अपील को अंततः गुण-दोष के आधार पर सुना जाए।
4. विलंब क्षमा के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दर्शाए गए कारण और प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर्याप्त और संतोषजनक हैं, विशेष रूप से तब जब प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. विलंब क्षमा हेतु आवेदन स्वीकार किया जाता है। विशेष अपील दायर करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

(अपील ज्ञापन पर आदेश)

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बद्रीश त्रिपाठी और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पांडेय को सुना गया।

2. यह रिट याचिका संख्या 6511/ 2014 (सेवा एकल) (मोहम्मद बशीर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में रिट न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 14.11.2014 के विरुद्ध एक अपील है।

3. प्रत्यर्थी ने निम्नलिखित अनुतोषों की मांग करते हुए रिट याचिका संख्या 6511/ 2014 (सेवा एकल) दायर की थी:-

"I. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए विरोधी पक्षकारों को याचिकाकर्ता को वेतन संरक्षण के लाभ की अनुमति देने और इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 410/एसबी /2010 'हृदयेश दयाल श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 04.04.2012 के आलोक में पेंशन लाभ के लिए ए.टी.एल. (ATL) में दिनांक 11.03.1981 से 20.11.1990 तक की गई उसकी विगत सेवा की गणना करने का आदेश दे, और याचिकाकर्ता को देय तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक बाजार दर के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज सहित देय ग्रेच्युटी की राशि तथा बकाया वेतन, ग्रेच्युटी, पेंशन लाभ, इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित एक संक्षिप्त उचित अवधि में जारी करने का आदेश दें।"

"II. कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों और न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझे।"

"III. इस रिट याचिका को वादव्यय सहित स्वीकार करें।"

4. उक्त रिट याचिका दिनांक 14.11.2014 को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार की गई है:-

"पक्षकारण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

यह रिट याचिका परमादेश की प्रकृति में रिट के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा विरोधी पक्षकारण को याचिकाकर्ता द्वारा ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ में की गई विगत सेवा को सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए पात्र बनाने के उद्देश्य से गणना में ग्रहण करने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है।

संक्षेप में तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति दिनांक 11.03.1981 को ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ में कनिष्ठ सहायक के रूप में की गई थी, जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है। याचिकाकर्ता को रुपये 490-760 के वेतनमान में कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई थी और उसका मूल वेतन रुपये 720 था, जिसे दिनांक 01.01.1986 से संशोधित कर रुपये 1230-2080 कर दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता का उद्योग बीमार घोषित कर दिया गया था और दिनांक 20.11.1990 को बंद कर दिया गया था, इसलिए पूर्ण स्टाफ की बाध्य हो कर छंटनी करनी पड़ी।"

राज्य सरकार ने छंटनी किए गए कर्मचारियों को समायोजित करने का निर्णय लिया था। याचिकाकर्ता को पत्र दिनांक 16.07.1996 के माध्यम से निचले वेतन वाले पद पर वरिष्ठ लिपिक के रूप में समायोजित किया गया था। याचिकाकर्ता ने उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण कर अपने कर्तव्यों का पालन किया और अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात दिनांक 31 दिसंबर 2005 को सेवानिवृत्त हो गया। यद्यपि, याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए।

यह विवाद इस न्यायालय की एक खंडन्यायपीठ द्वारा **हृदयेश दयाल श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [रिट याचिका संख्या 410 (एसबी)/ 2010]** के मामले में दिए गए निर्णय से पूर्णतः आच्छादित है। निर्णय के पैरा 21 में यह कहा गया है कि वेतनमान और वास्तविक वेतन के संबंध में, जिसका याचिकाकर्ता अधिकारी था, उसे अंतिम आहरित वेतन की सुरक्षा के लिए वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत किया जा सकता था। खंडपीठ ने **चित्तरंजन शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य [1996(3) ईएससी 622 (एससी)]** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान निर्णय का आश्रय लिया, जिसमें वेतनमान बनाए रखने और समायोजन तथा समायोजन करने के निर्देश को उचित पाया गया था। खंडपीठ का यह दृष्टिकोण था कि याचिकाकर्ता की विगत सेवा, समयबद्ध वेतनमान और अन्य लाभों हेतु विचारणीय है। खंडपीठ के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई थी।

चंद्र भूषण पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [रिट याचिका संख्या 8568/2010 (एसएस)]

वाद में, इस न्यायालय का विचार था कि प्रत्यर्थागण मेसर्स ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड में की गई सेवा के दृष्टिगत याचिकाकर्ता को स्वीकार्य सभी परिणामी लाभ देने के लिए उत्तरदायी हैं।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उपरोक्त विधिक स्थिति पर विवाद नहीं किया है।

उपरोक्त के आलोक में, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। विरोधी पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड, प्रतापगढ़ में याचिकाकर्ता द्वारा की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए सभी परिणामी लाभ प्रदान करें। पेंशन सहित बकाया सेवानिवृत्ति देय राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाएगा।"

5. दो भिन्न रिट याचिकाओं से उद्भूत यह दो अपीलें हैं, लेकिन हमने प्रत्यर्था-याचिकाकर्ता द्वारा दायर मात्र एक रिट याचिका संख्या 6511 (एस/एस)/ 2014 के अनुतोष खंड को उद्धृत किया है। दूसरी याचिका में भी अनुतोष खंड समान है।

6. अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता का तर्क यह है कि ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के पूर्व कर्मचारियों को सरकारी विभाग या निगम में उनके समायोजन के परिणामस्वरूप पेंशन लाभ की गणना के लिए उक्त कंपनी में कार्यरत रहने के दौरान के दौरान उनकी पिछली सेवाओं का लाभ देने के प्रश्न पर के मामले पर एक अन्य मामले में विचार किया गया जिसे एक वृहद-पीठ को संदर्भित किया गया था जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया गया:-

"(i) क्या शंखथा प्रसाद मिश्रा (उपरोक्त); हृदयेश दयाल श्रीवास्तव (उपरोक्त); मृत्युंजय प्रसाद सिंह (उपरोक्त); केशव राम पांडे (उपरोक्त) और उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अमर पाल सिंह, [विशेष अपील (दोषपूर्ण) संख्या 646/ 2016, दिनांक 25.10.2016 को निर्णीत] के मामलों में खंडपीठ के निर्णयों में उचित रूप में यह धारित किया गया है कि ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के याचिकाकर्ता के समान छंटनीशुदा कर्मचारियों द्वारा की गई पिछली सेवाओं का लाभ, जिन्हें बाद में सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है, राज्य सरकार द्वारा देय सेवानिवृत्ति बकाया की गणना के उद्देश्य से उनकी अर्हकारी सेवा में गिना जाएगा?

(ii) क्या ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड का कोई छंटनीशुदा कर्मचारी जैसे कि याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश

सरकारी सेवा में सरकारी या सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का अवशोषण नियमावली 1991 के रूप में जाने जाने वाले प्रासंगिक नियमों के अनुसार सरकारी सेवा में समायोजित हो गया है, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 और इस संबंध में अन्य आनुषंगिक नियमों और शासनादेशों के साथ-साथ दिनांक 11.11.1993 और 10.07.1998 के शासनादेशों जिन्हें 28.12.2001 के शासनादेश द्वारा संशोधित किया गया है, के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अपने पूर्व नियोक्ता अर्थात् ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अधीन उनके द्वारा की गई विगत सेवाओं की गणना किये जाने का अधिकारी हैं?"

7. उन निर्णयों की शुद्धता, जिनका आश्रय लेते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी की रिट याचिका को स्वीकार किया था, वह भी वृहद पीठ के समक्ष विचारणीय थी। वृहद पीठ द्वारा उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिए गए:-

"उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम हमारे द्वारा पुनर्गठित/पुनः विरचित किये गए प्रश्नों के उत्तर निम्नवत प्रदान करते हैं:

(i) शंखथा प्रसाद मिश्रा (उपरोक्त); हृदयेश दयाल श्रीवास्तव (उपरोक्त); मृत्युंजय प्रसाद सिंह (उपरोक्त); केशव राम पांडेय (उपरोक्त) और उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अमर पाल सिंह के मामलों में खंडन्यायपीठ के निर्णय ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छंटनीशुदा कर्मचारियों, जिन्हें बाद में सरकारी सेवा में समायोजित किया गया है, की विगत सेवाओं को राज्य सरकार द्वारा देय सेवानिवृत्ति बकाया की गणना के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में गणना किये जाने के प्रश्न पर विधि का उचित प्रतिपादन नहीं करते हैं। यह मान्य विधि नहीं है।

(ii) ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छंटनीशुदा कर्मचारी जैसे कि याचिकाकर्ता, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (सरकारी सेवा में सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का आमेलन) नियमावली, 1991 के रूप में जाने जाने वाले नियमों के अनुसार सरकारी सेवा में समायोजित हुए हैं, उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1961 और इस संबंध में अन्य आनुषंगिक नियमों और शासनादेशों के साथ-साथ शासनादेश दिनांक 11.1.1993 द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के उद्देश्य से अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अपने पूर्व नियोक्ता यानी ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के अधीन उनके द्वारा की गई पिछली सेवाओं की

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

गणना किये जाने के अधिकारी नहीं हैं और वास्तव में शासनादेश दिनांक 10.07.1998 जिसे दिनांक 28.12.2001 को संशोधित किया गया है, ऐसे कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

(iii) राम शंकर गुप्ता (उपरोक्त) के मामले में खंडपीठ के निर्णय एवं शंखथा प्रसाद मिश्रा (उपरोक्त); हृदयेश दयाल श्रीवास्तव (उपरोक्त); मृत्युंजय प्रसाद सिंह (उपरोक्त); केशव राम पांडे (उपरोक्त) और उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम अमर पाल सिंह के मामलों में समकक्ष पीठों द्वारा दिए गए पूर्व निर्णयों में विरोधाभास है। राम शंकर गुप्ता (उपरोक्त) के निर्णय में विधि को उचित रूप से प्रतिपादित किया गया है और पूर्वोक्त कारणों से, प्रश्न संख्या (ii) के संबंध में अन्य निर्णय इस विषय पर विधि को उचित रूप से प्रतिपादित नहीं करते हैं।"

8. पूछे जाने पर प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसमें दो बिंदु सम्मिलित हैं; प्रथम- प्रत्यर्थी के समान कर्मचारियों को प्रदान किये जाने वाले वेतन संरक्षण से संबंधित है; और द्वितीय- उनकी विगत सेवाओं की गणना करने के लाभ के संबंध में। वृहद पीठ का निर्णय द्वितीय बिंदु से संबंधित है, प्रथम से नहीं। वेतन संरक्षण के संबंध में, पूर्व कर्मचारी इसके अधिकारी थे।

9. हमने 'अनुकूल प्रकाश बनाम उ.प्र. राज्य एवं अन्य; 2023 (6) एडीजे 562' वाद में घोषित वृहद पीठ के निर्णय का परिशीलन किया है। पैरा संख्या 32 में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (सरकारी सेवा में सार्वजनिक निगमों के छंटनीशुदा कर्मचारियों का आमेसन) नियमावली, 1991 (एतादपश्चात नियमावली, 1991' के रूप में संदर्भित) पर विचार करने के बाद जैसा कि उत्तरवर्ती नियमों द्वारा संशोधित/रद्द किया गया था, यह टिप्पणी की गई है कि मात्र दो बातों को संरक्षित किया गया था; एक पहले से प्रदान किये गए समायोजन का लाभ और दूसरा उसी संदर्भ में अंतिम वेतन संरक्षण। यह भी देखा गया है कि वर्ष 2009 के अधिनियम द्वारा दिनांक 09.05.1991 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ नियमावली, 1991 को रद्द करते समय, पुनः दो बातों को संरक्षित किया गया था; प्रथम- दिनांक 08.03.2003 से पूर्व दिए गए समायोजन का लाभ और द्वितीय- ऐसे छंटनीशुदा कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन, जो समायोजित किया गया था। यह टिप्पणियां इस निष्कर्ष के संदर्भ में की गई थीं कि उक्त नियमों में से किसी के द्वारा ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के छंटनीशुदा कर्मचारियों द्वारा सरकारी सेवा में उनके समायोजन के बाद पेंशन लाभों के लिए विगत सेवाओं की गणना करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, परन्तु तथ्य यह है कि वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था। हमें रिट याचिका के अनुतोष खंड से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी- याचिकाकर्ता द्वारा इसकी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भी प्रार्थना की गई थी।

10. उपरोक्त के आलोक में, हम इस अपील को निम्नलिखित निर्देश/टिप्पणी के साथ आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं:-

'प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता के दावे पर लागू प्रासंगिक नियमों और शासनादेशों तथा अनुकूल प्रकाश (उपरोक्त)

के मामले में वृहद पीठ के निर्णय के आलोक में मात्र वेतन संरक्षण प्रदान करने के संबंध में विचार किया जाएगा, लेकिन पेंशन लाभों की गणना के लिए विगत सेवाओं के लाभ प्रदान करने के संबंध में नहीं।'

11. प्रत्यर्थी-याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निस्तारण उपरोक्त के आलोक में किया जाता है। आक्षेपित निर्णय तदनुसार संशोधित किया जाता है।

12. उपरोक्त के आलोक में अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

20 फरवरी, 2026

पीयूष

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)